न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 31/2023

श्रीमती बीना शर्मा पत्नी पवन कुमार शर्मा पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी म0नं0 689, प्रगति नगर, केशव उघान के पास, कोटडा आवासीय योजना, अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री रामचरण जी शर्मा, जाति ब्राहम्ण, उम्र 66 वर्ष, निवासी म0नं0 689, पगति नगर, केशव उघान के पास कोटडा, आवासीय परियोजना, अजमेर (राज)
2. पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, निवासी मकान नं0 689, प्रगति नगर, केशव उघान के पास, कोटडा, आवासीय परियोजना, अजमेर (अजमेर) .....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 13.10.2023 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 19.02.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 13.10.2023, जिसमें "अप्रार्थी/(अपीलान्ट), प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) हैं। प्रार्थिया विधवा महिला है। अपीलार्थीया श्री अशोक कुमार शर्मा की पुत्रवधु है, तथा पढी–लिखि व संवीदा महिला है, बीना शर्मा ने कभी भी अपने सास, ससुर से झगडा–फसाद नहीं किया है, तथा ना ही कभी दुर्व्यवहार किया है, अपीलार्थीया के पति श्री पवन कुमार शर्मा जो अभिभाषक है, कुछ कमाते नहीं है। शराब पीकर स्वयं घर में झगडा करते है, उसके लिए अपीलार्थीया का कोई दोष नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपने पुत्र पवन कुमार शर्मा से परेशान है तथा अपीलार्थीया का कोई दोष नहीं होने के बावजूद भी आवास से षडयंत्र के अंतर्गत उक्त वर्णित मकान का कब्जा लेना चाहते है, जबकि अपीलार्थीया पुत्रवधु होने की वजह से पति व ससुर से अलग आवास प्राप्त करने की कानूनी अधिकारिणी है। अपीलार्थीया को बिना युक्ति–युक्त कारण के मकान से बेदखल करना महिलाओ का घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी व अवैध है। प्रार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा के पास एक अन्य आवास भी है, जिसके वर्तमान में रह रहे है। उक्त आवास की संद्भाविक आवश्यकता नहीं है केवल मात्र अपने पुत्र प्रोफार्मा रेस्पोडंट पवन कुमार शर्मा से पीछा छुडाने के लिए अपीलार्थीया को भी निजी आवास बेदखल करने का आदेश षडयंत्र पूर्वक प्राप्त किया है। अधीनस्थ अधिकरण में प्रार्थी अशोक कुमार शर्मा अथवा इनके गवाहों की साक्ष्य भी दर्ज नहीं की गयी व जिरह का भी अवसर नही दिया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय अवैध गैर कानूनी होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश/निर्णय महिलाओ के घरेलू हिंसा के प्रावधानों आवास की अवहैलना कर जो आदेश दिया है व गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय/अधिकरण का आदेश निरस्त किया जाये जो न्यायहित में है। उक्त

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

सम्पत्ति से अपीलांन्ट को बाहर निकालने जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 व 02 स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थीया श्री अशोक कुमार शर्मा की पुत्रवधु है, तथा पढी–लिखि व संवीदा महिला है, बीना शर्मा ने कभी भी अपने सास, ससुर से झगडा–फसाद नहीं किया है, तथा ना ही कभी दुर्व्यवहार किया है, अपीलार्थीया के पति श्री पवन कुमार शर्मा जो अभिभाषक है, कुछ कमाते नहीं है। शराब पीकर स्वयं घर में झगडा करते है, उसके लिए अपीलार्थीया का कोई दोष नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपने पुत्र पवन कुमार शर्मा से परेशान है तथा अपीलार्थीया का कोई दोष नहीं होने के बावजूद भी आवास से षडयंत्र के अंतर्गत उक्त वर्णित मकान का कब्जा लेना चाहते है, जबकि अपीलार्थीया पुत्रवधु होने की वजह से पति व ससुर से अलग आवास प्राप्त करने की कानूनी अधिकारिणी है। अपीलार्थीया को बिना युक्ति–युक्त कारण के मकान से बेदखल करना महिलाओ का घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी व अवैध है। प्रार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा के पास एक अन्य आवास भी है, जिसके वर्तमान में रह रहे है। उक्त आवास की संदभाविक आवश्यकता नहीं है केवल मात्र अपने पुत्र प्रोफार्मा रेस्पोडंट पवन कुमार शर्मा से पीछा छुडाने के लिए अपीलार्थीया को भी निजी आवास बेदखल करने का आदेश षडयंत्र पूर्वक प्राप्त किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय निर्णय अवैध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ अधिकरण में प्रार्थी अशोक कुमार शर्मा अथवा इनके गवाहों की साक्ष्य भी दर्ज नहीं की गयी व जिरह का भी अवसर नही दिया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय अवैध गैर कानूनी होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश/निर्णय महिलाओ के घरेलू हिंसा के प्रावधानों आवास की अवहैलना कर जो आदेश दिया है व गैर क़ानूनी होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय/अधिकरण का आदेश निरस्त किया जाये जो न्यायहित में है। उक्त सम्पत्ति से अपीलांन्ट को बाहर निकालने जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट 2 का विवाह 30.11.2022 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात से ही दोनो पक्षकारों के मध्य वैचारिक मतभेदो के चलते परिवार में अशान्ति का माहौल रहता था तथा वष 2003 में दोनो पक्षकारो के मध्य काफी विवाद हुआ था जिसमें मुझे व मेरी पत्नी रतन शर्मा को भी बंद कराने की धमकी दी गई। जबकि उस दौरान मे हदय की बीमारी से ग्रस्त थे । बावजूद दोनो पक्षकार के मतभेदों के चले में व मेरी पत्नी काफी प्रताडित हुई। पुत्रवधु द्वारा अपने पीहर से कुछ लोगो को बुलाकर मुझे व मेरी पत्नी को धमकाया गया । पुत्र वधु के द्वारा पुराने आटे की रोटियां व पुरानी सब्जी, नहाने का पानी जो उपर से टंकी से आता था वह पानी मुझे व मेरी पत्नी को देती थी तथा लाईट का मैन स्वीच ऑफ करना कुछ बोलने पर गंदी–गंदी गालिया देना आम बात हो गई थी और जब इस सन्दर्भ में मेरे पुत्र को बोला गया तो उसके द्वारा कोई कार्यवाही ना करना । उक्त आवासीय मकान जिसमें निवास कर रहे है वह बी.एस.एन.एल में नौकरी करता तब खरीदा गया । मे व मेरी पत्नी जो वास्तविकता में उपरोक्त सम्पत्ति की मालिक

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

है, मजबूरी में अपनी जान बचाने के खातिर अपनी पुत्री के पास निवास कर रहे है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलांट आये दिन गाली गलौच व लडाई झगडा करती है। व अपीलांट के पीहर वालो के यहॉ उनके भाई से भी बात की गई। उनके द्वारा भी इन्हे अपने पास रखने से मना कर दिया गया ।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का दौराने बहस मुख्यतः कथन रहा है कि अपीलांट का विवाह वर्ष 2002 में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के साथ हुआ है। अपने पीहर पक्ष वाले मुझे अपने पास नहीं रखते है। विवाह को हुए लगभग 22 वर्ष हो चुके है। में संविदा महिला हूँ तथा मेरे जीवन यापन का कोई स्त्रोत नही है, उक्त आवास के अलावा मेरे पास रहने हेतु कोई अन्यत्र रहवास/आर्थिक स्त्रोत नहीं है। अतः आवास से बेदखल नहीं किया जावे। रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा कथन किया कि वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत मेरी संपत्ति से बेदखली कर उनकी सम्पति व जीवन को संरक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही निवेदन किया गया है कि अपीलांट द्वारा गाली–गलौच, लडाई झगडा करना आम बात है। रेस्पोडेन्ट 2 ने कथन है कि अपीलांट आये दिन गाली–गलौच करती है, व स्वयं स्वीकार किया गया कि अपीलांट को उनके भाई नही रखना चाहते है। हमने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यों, सुनवाई दौरान व्यक्त कथनों पर मनन किया। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट् सं0 01 एवं 02 द्वारा परस्पर आरोप, प्रत्यारोपित किये गये है। रेस्पोडेन्ट एक बेटे एवं बहु दोनो पर ही परेशान करने का आरोप लगाते हुए शांतिपूर्ण रहवास हेतु उनकी सम्पति से बेदखली चाहते है। अपीलांट अलग नहीं रहना चाहती है। चूँकि, जीविकोपार्जन की कोई सुविधा नही है और ना ही कोई आर्थिक स्त्रोत है, उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मामला आपसी मनमुटाव एवं पारिवारिक गृह क्लेश का प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट्स की वर्तमान परिस्थिति एवं अवस्था को देखते हुए अधिनस्थ अधिकारी भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2023 अपास्त किया जाता है, अपील, अपीलार्थी0 आंशिक स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट 1 को पाबन्द किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उक्त सम्पत्ति/मकान में रहवास हेतु एक कमरा व शौचालय की सुविधा की व्यवस्था करे । अपीलान्ट्स जो कि रेस्पोडेन्ट 01 व इनकी पत्नि सास–ससुर तथा माता–पिता है तथा वद्धावस्था में है, की उचित देखभाल करते हुए उनके शान्ति पूर्ण जीवन यापन में सहयोग करें, किसी प्रकार से दुर्व्यवहार, लडाई–झगडा, वाद विवाद, आदि नहीं करें। इस आश्य की लिखित अन्डर टेंकिग अपीलांट, न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर एवं सम्बन्धित थानाधिकारी, पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर, आदेश की पालना सुनिश्चित करावें तथा अपीलार्थी को आदेश की पालना कठोरता से करने हेतु पाबन्द करे। आदेश की तनिक भी अवेहलना होने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर